संख्या–1556/अड़सठ–3–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 01 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2019

विषयः–मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में उपलब्ध गैस सिलेण्डर तथा किचेन उपकरण चोरी के संबंध में वसूली की कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों पर मा0 संयुक्त समिति (2017–18) की बैठक दिनांक–03.07.2019 में मा0 समिति द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में उपलब्ध कराये गये गैस सिलेण्डर तथा किचेन उपकरण चोरी होने की स्थिति का संज्ञान लिया गया तथा चोरी होने की स्थिति में दोषी व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वसूली की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में उपलब्ध कराये गये गैस सिलेण्डर व किचेन उपकरण चोरी होने की स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाय तथा विवेचना के आधार पर दोषी व्यक्ति से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण
उ0प्र0, लखनऊ

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
4– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
6– जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

Edu-3 G.O.2019